रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229538
CG-DL-E-10092021-229538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3369] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
No. 3369] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

आय-कर

का.आ. 3681(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206ग की उप-धारा (1ज) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि एयर इंडिया लिमिटेड (पैन : AACCN6194P) को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अधीन उसके द्वारा एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड (पैन : AAQCA4703M) को माल के अंतरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 206ग की उप-धारा (1ज) के प्रयोजनों के लिए 'विक्रेता' के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 108/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।